भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1326
सोमवार, 25 **जुलाई, 2022/03 श्रावण**, **1944 (शक)**

वर्तमान बेरोजगारी दर

1326. श्री मनीश तिवारीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान बेरोजगारी दर कितनी है और विगत पांच वर्षों के दौरान ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी के अलग-अलग माह-वार आंकड़े क्या है;

(ख) क्या सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी जैसी निजी संगठनों द्वारा किए गए बेरोजगारी के आंकड़े/अनुमान सरकारी आंकड़ों की तुलना में अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैश्विक मानकों के अनुसार भारत की 60 प्रतिशत आबादी को नियोजित होना चाहिए अर्थात् वर्तमान में नियोजित 40.6 करोड़ लोगों की अपेक्षा 84 करोड़ लोगों को नियोजित होना चाहिए तथा 44 करोड़ और लोगों को रोजगार देने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार की क्या रणनीति है; और

(घ) क्या बेरोजगारी की समस्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक गंभीर है, जिसमें अधिक महिलाएं बेरोजगार होने के साथ-साथ काम की तलाश में भी है और उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी पर सरकारी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक है। पीएलएफएस रिपोर्ट माह-वार बेरोजगारी आंकड़े जारी नहीं करती है। उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु का वर्ष-वार अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार हैः

वर्ष	बेरोजगारी दर (यूआर) (% में)
ग्रामीण	
2017-18	5.3
2018-19	5.0
2019-20	3.9
2020-21	3.3
शहरी	
2017-18	7.7
2018-19	7.6
2019-20	6.9
2020-21	6.7
अखिल भारत	
2017-18	6.0
2018-19	5.8
2019-20	4.8
2020-21	4.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरूष एवं महिलाओं की सामान्य स्थिति आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) नीचे दी गई है:

वर्ष	पुरूष बेरोजगारी दर (यूआर) **(% में)**	महिला बेरोजगारी दर (यूआर) **(% में)**
अखिल भारत		
2017-18	6.1	5.6
2018-19	6.0	5.1
2019-20	5.0	4.2
2020-21	4.5	3.5

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

पीएलएफएस के आंकड़े दर्शाते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बेरोजगारी कम है।

कई निजी कम्पनियां/निकाय/अनुसंधान संगठन अपनी स्वयं की पद्धति के आधार पर विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण करते हैं और सीएमआईई उनमें से एक है।

पीएलएफएस 2019-20 के आधार पर आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में रोजगार की कुल संख्या 53.53 करोड़ होने का अनुमान है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। दिनांक 13.07.2022 तक 59.54 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत दिनांक 08.07.2022 तक 35.94 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

बजट 2021-22 में 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। इन सभी प्रयासों से गुणक-प्रभावों के माध्यम से, सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा मिलने की आशा है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी एपरोच है। यह एपरोच सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह एपरोच, स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। दिनांक 11 जुलाई, 2022 तक, इस योजना के तहत 30.26 लाख लाभार्थियों को ₹3,615 करोड़ की राशि के 33.34 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इसके अलावा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए है।

*****